द्वितीय अध्याय

हिंदी कविता में दलित जीवन की संकल्पना

द्वितीय अध्याय

हिंदी कविता में दलित जीवन की संकल्पना

2.1 'दलित' शब्द की संकल्पना और परिभाषा :

भारतीय समाज व्यवस्था में चातुर्वर्ण्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण है, इनका उल्लेख धर्मग्रंथों में मिलता है। इन चार वर्णो में सबसे उँचा स्थान ब्राह्मण का है, जिसका काम केवल ज्ञान-दान का माना जाता है। ब्राह्मण के बाद का स्थान क्षत्रिय का हैं, जिसका काम रक्षा करना है। क्षत्रिय के बाद का स्थान वैश्य का है, जिसका काम खेती करना, या उत्पादन करना माना जाता है। इस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में सबसे नीचला स्थान शूद्र का है, जिसका काम केवल इन तीनों वर्णो की सेवा करना माना जाता है।

प्राचीन भारत में शूद्रों का काम केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णो की सेवा करना इतना ही काम माना जाता था। प्राचीन साहित्य में शूद्र, अस्पृश्य, चांडल, अत्यंज इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जो कि ये शब्द 'दलित' शब्द के समानार्थी है।

'दलित' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'दल' धातु से हुई है। जिसका अर्थ तोडना, हिस्से करना, कुचलना है।

दलित शब्द का अर्थ, शब्द कोशों में इस तरह दिया गया है।

1. नालंदा शब्द कोश -

"दलित - 1. मसला, रौंदा या कुचला हुआ।

2. नष्ट किया हुआ।"[1]

---

1. संपा.नवलजी - नालन्दा विशाल शब्दसागर - पृष्ठ - 568

2. लघु हिंदी शब्द सागर -

'दलित' - (वि.स.) स्त्री दलिता

मसला हुआ, मर्दित।

दबाया, रौंदा या कुचला हुआ।

खण्डित विनिष्ट किया हुआ।"[1]

3 मानक हिंदी कोश -

"दलित - 1 जिसका दलन हुआ हो।

2 जो कुचला, दला, मसला या रौंदा गया हो।

3 टुकड़े - टुकडे किया हुआ। चूर्णित।

4 जो दब गया हो अथवा जिसे पनपने या बढ़ने न दिया गया हो। हीन अवस्था में पड़ा हुआ।

5 ध्वस्त या नष्ट किया हुआ।"[2]

4. मराठी शब्द कोश -

"दल - नाश करणे ।। विनिष्ट करना ।।

दलित - नाश पावलेला ।। विनिष्ट हुआ ।।

दीन-दलित - समानार्थी शब्द।"[3]

5. आदर्श मराठी शब्दाकोश -

"'दलित' - (संवि) तुडविलेले, चुरडलेले, मोडलेले, हलकी जात"[4]

---

1. संपा.करूणापती त्रिपाठी	- लघु हिंदी शब्दसागर	-	पृष्ठ -439
2. रामचंद्र वर्मा	- मानक हिंदी कोश तिसरा खंड	-	पृष्ठ - 35
3. संपा.आपटे व्ही. एस.	- व्युत्पत्ति कोश		
4. प्र. न. जोशी	- आदर्श मराठी शब्द कोश	-	पृष्ठ - 513

दलित :

"दब कत: टूटा हुआ, चीरा हुआ, फाड़ा हुआ, कटा हुआ, टुकड़े-टुकड़े हुआ।"[1]

डॉ.भोलानाथ तिवारी ने 'दलित' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है -

'दलित - कुचला हुआ, मर्दित, मसला हुआ।
रौंदा हुआ।
पस्त हिम्मत, हितोत्साह
अछूत, जनजाति, डिस्प्रेस्ड क्लास।'

दलित शब्द का प्रयोग भारत में लगभग **1919** को आरंभ हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में 'पिछड़ा वर्ग' इस शब्द का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि "ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान आखिल भारतीय स्तर पर दलित वर्ग के अनेक सरकारी निकायों प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, उसी के अनुरूप **1991** में सरकारी भाषा में दलित वर्ग सर्वग्राही शब्द बन गया था।"[2]

भारतीय संस्कृति पुरातन है। इस संस्कृति में मनुस्मृती ग्रंथ महत्त्वपूर्ण माना गया था, जो हिंदुओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का आधार माना जाता है। मनुस्मृती ग्रंथ में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को मान्य करके इसमें चारों वर्णो के कामों के बारे में बताया गया है।

'ब्राह्मणस्थ तपो ज्ञान क्षत्रस्थ रक्षणम्।
वैरस्थ तु तपो वार्ता तप: शुद्रस्थ सेवनम्।'

इसका मतलब है - 'ब्राह्मण का ज्ञान यही तप, क्षत्रिय का रक्षा यह तप, वैश्य का व्यापार और ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का काम है।'

भारत में दलितों की शताब्दियों पुरानी दासता और उनकी दुर्दशा को देखकर उर्दु के प्रसिद्ध कवि डॉ.इकबाल ने लिखा है -

---

1. डॉ.एन. सिंह - दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम - पृष्ठ - 18
2. डॉ.कालीचरण 'स्नेही' -हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता - पृष्ठ - 28

'आह शुद्र के लिए हिन्दुस्तां गम खाता है

दर्दे इनसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है।'

डॉ.पुरूषोत्तम सत्यप्रेमी के शब्दों में - "समता के अस्मितादर्शी प्रगतीशील समाज के मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्षशील लोग ही 'दलित' है। आज पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति ही अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत है।"[1]

समाज में सामाजिक और आर्थिकता का साथ लेकर जिनपर अत्याचार किये जाते है और जो बिना कुछ कहे चुपचाप सहन करते है,जो वर्ग अधिकार रहित होता है और मूक जीवन व्यतीत करनेवाले समूह को 'दलित' संज्ञा का अर्थबोध होता है।

2.1.1 'दलित' शब्द की परिभाषा :

अलग-अलग विद्वानों ने 'दलित' शब्द की अलग-अलग परिभाषाएँ दी है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि ने 'दलित' शब्द को इस रूप में प्रकाशित किया - "दलित शब्द भाषावाद, जातिवाद, और क्षेत्रवाद को नकारता है और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता हैं।"[2]

श्रीमान स्वामी बोधानंदजी महास्थविर ने दलित की परिभाषा करते हुए कहते है - "'दलित' शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अग्रेसर हिंदू जातियों ने और उन्हीं कुटिल नीति में पड़कर पिछड़ी हिंदू जातियों नें भी इन बेचारों के समस्त धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि अधिकारों को जो मनुष्यतनधारी होने के कारण उन्हें स्वभाव से ही प्राप्त थे, ऐसा कुचल और दल डाला है कि मनुष्य होते हुए भी उनकी अवस्था कुत्ते, बिल्ली और मक्खी-मच्छर से भी गयी-बीती हो गयी है।"[3]

स्वामी बोधानंदजी महास्थविर ने अपनी परिभाषा में हिंदू धर्म के उच्च्व वर्ग के लोगों ने जो शूद्र माने गये लोगों के हक्क छिने है, उसपर प्रकाश डाला है।

---

1. डॉ.एन.सिंह - दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम - पृष्ठ -20
2. डॉ.कालीचरण 'स्नेही' - हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता - पृष्ठ - 27
3. माताप्रसाद - हिंदी काव्य में दलित धारा - पृष्ठ -2

डॉ.सोहनपाल सुमनासार 'दलित' शब्द को परिभाषित करते हुए लिखते है-

"दलित वह है जिसका दलन किया गया हो। उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, बाधित और पीड़ित व्यक्ति भी दलित की श्रेणी में आता हैं।"[1]

मराठी के नामदेव ढसाळ ने दलित की परिभाषा इस प्रकार की है -

"अनुसूचित जातियाँ, बौद्ध, श्रमिक, भुमिहीन, कृषक व भटकनेवाली सभी जातियाँ दलित है।"[2]

डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर के अनुसार - "दलित जातियाँ वे है जो अपवित्र होती है। इन्हें निम्न श्रेणी के कारागीर, धोबी, मोची, भंगी, बसोर, सेवक जातियाँ जैसे चमार, डगारी (मरे हुए पशु को उठाने के लिए), सऊरी (प्रसुति गृहकार्य के लिए, ढोल-डफली बजानेवाले आते है।)"[3]

"सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा और बाद में अंग्रेजी शब्द डिस्प्रेस्ड का उपयोग सरकारी भाषा में इस वर्ग के लिए किया गया था, जिसका हिंदी रूपांतर दलित शब्द के रूप में आया तथा डिस्प्रेस्ड क्लासेस का अर्थ दलित के रूप में सरकारी भाषा में अंगीकृत किया गया।"[4]

प्राचीनकाल में भारतीय समाज व्यवस्था के शूद्र समुदाय की सभी जातियाँ जो पद दलित कर दी गई थी जिनका क्रुरतापूर्ण ढंग से शोषण हुआ, दलित वर्ग के अंतर्गत इनका समावेश किया गया। शूद्रों में भी निर्वासित और अनिर्वासित दो प्रकार दिखाई देते है।अनिर्वासित शूद्र मन्दिर प्रवेश या रामायण, महाभारत, पुराण आदि के श्रवण के भक्तिमार्ग के द्वारा आत्मोन्नति साधने के लिए मुक्त थे, परंतु निर्वासित शुद्रों को बहिष्कृत किया जाता था, इन्हें मंदिर प्रवेश नकारा गया था, इनका स्पर्श होना भी अपवित्र माना जाता था। इन्हें ही बाद में दलित (अस्पृश्य) नाम प्राप्त हुआ हैं।

---

1. डॉ. मुन्ना तिवारी - दलित चेतना और समकालीन हिंदी उपन्यास -पृष्ठ - 5
2. डॉ. कालीचरण स्नेही - हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता - पृष्ठ - 88
3. डॉ. मुन्ना तिवारी - दलित चेतना और समकालीन हिंदी उपन्यास -पृष्ठ - 6
4. संपा.अवंतिका प्रसाद मरमट - दलितायन - पृष्ठ - 1

2.1.2 'दलित' सीमित अर्थ में :

'दलित' शब्द को सीमित अर्थ में देखनेवाले का कहना यह है, कि जो लोग अस्पृश्य है, इसमें सभी निम्न जातियाँ आती है वही दलित है।

मराठी के प्रसिद्ध कवि केशव मेश्राम 'दलित' की परिभाषा करते हुए कहते है - "हजारो वर्ष ज्यांच्यावर अन्याय झाला अशा अस्पृश्यांना दलित म्हटले पाहिजे।"[1] (हजारो साल जिनपर अन्याय हुआ ऐसे अस्पृश्यों को दलित कहना होगा।)

अस्पृश्य वर्ग के लिए डिस्प्रेस्ड़ क्लासेस, शेडयुल्ड कास्ट्स, हरिजन और गुलाम आदि अलग-अलग नामों से प्रयुक्त किया जाता था। अस्पृश्य वर्ग को सभी नाम अधिकृत और अनाधिकृत रूप में समय-समय पर प्रसंगानुरूप प्रयुक्त किए गए। गवर्णमिण्ट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार 'शेडयुल्ड कास्ट्स' ऐसा शब्द प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग सन **1935** ई के बाद इसका उपयोग में आया। सन **1935** पूर्व अस्पृश्य लोगों को गांधी ने 'हरिजन' कहा और सरकार की तरफ 'डिस्प्रेस्ड क्लासेस' कहा जाता था। डॉ.बाबासाहेब अम्बेड़कर ने 'बहिष्कृत' नाम का प्रयोग किया।

2.1.3 'दलित' व्यापक अर्थ में :

'दलित' शब्द के व्यापकता में दलित केवल कोई विशेष जाति नहीं, इसमें जाति को महत्त्व न देकर मनुष्य की पतितावस्था, दुरावस्था तथा उसकी लाचारी और शोषण को देखा जाता है।

शरणकुमार लिंबाळे दलित के बारे में लिखते है - "दलित अर्थात केवल हरिजन और नवबौद्ध ही नहीं, बल्कि गाँव की सीमा से बाहर रहनेवाली सभी अछूत जातियाँ, आदिवासी, भूमिहीन, खेतमजदूर, श्रमिक, दु:खी जनता, भटकी बहिष्कृत जाति इन सभी का 'दलित' शब्द की व्याख्या में समावेश होता है। 'दलित' शब्द की व्याख्या केवल अछूत जाति का उल्लेख करने से नहीं होगी। इसमें आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए

1.संपा.प्रा.डॉ.गंगाधर पानतावणे - अस्मितादर्श (त्रैमासिक) - पृष्ठ - **184**

लोगों का भी समावेश करना चाहिए।"[1]

दलित की उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने के बाद 'दलित' शब्द का अर्थ विस्तृत रूप में नजर आता हैं। व्यापक अर्थ में 'दलित' का अर्थ का केवल विशिष्ट जाति न जाकर मनुष्य की दुरावस्था, आर्थिक अभाव और जिसे मानवीय हकों से वंचित रखा हो और जिसका दलन किया जाता हो वो चाहे किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का क्यों न हो वो दलित कहा जायेगा। इस व्यापक अर्थ में मेहनत करनेवाले, मजदूर, किसान तथा गरीब तथा नारी भी आ जाती है।

दलित की परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि दलित संज्ञा केवल अस्पृश्य या हरिजन न होकर जिन्हें मानवी हकों से दूर रखा गया है, तथा जिनके साथ अन्याय, अत्याचार किये जाते हैं, वे सभी प्रकार से शोषित दलित हैं।

यहाँ स्पष्ट है, किसी भी रूप में किसी भी द्वारा जिसका शोषण हुआ है वो शोषित ही 'दलित' हैं। धन, धर्म, वर्ण, कर्म, देश, कुल, सत्ता, पद, अधिकार से जिसे वंचित रखा गया,जिसे हमेशा इन चीजों से उपेक्षित रखा गया उसे दलित माना जाता है।

2.2 दलितों की वर्तमान स्थिति :

भारत के सामाजिक इतिहास में वर्ण-व्यवस्था को महत्व का स्थान था। इस व्यवस्था में समाज को चार वर्णो में विभाजन किया गया। पहले व्यक्ति कार्य पद्धति से वर्ण परिवर्तन कर सकता था लेकिन बाद में वो जन्म के आधार पर रह गया।

प्राचीन काल में दलितों की स्थिति सोचनीय थी। प्राचीन काल में भारतीय समाज व्यवस्था चातुर्वर्ण्य पर आधारित थी। इस चातुर्वर्ण्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जिसका काम पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना बताया था। दुसरे स्थान पर क्षत्रिय है, जिसका काम लोगों की रक्षा करना, दान देना था। तिसरे स्थान पर वैश्य था, जिसका काम पशुओं का पोषण, खेती करना था, लेकिन शूद्र जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में इसे कनिष्ठ माना गया है, इसका काम सिर्फ इन तीनों वर्णो की सेवा करना बताया है।

1.संपा.राजेंद्र यादव - हंस (मासिक) 1997 - पृष्ठ - 53

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, लेकिन इस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ने शूद्रों के ऊपर बहुत नाइन्साफी की है,क्योंकि शूद्र अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे,जो काम गंधे हो, या नीच माने जाते हो वही शूद्रों को करना पड़ता था। शूद्रों का काम केवल ब्राह्मण,क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों कर्मो की सेवा करना बताकर इन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया।

भारतीय समाज व्यवस्था में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का आधार मनुस्मृती ग्रंथ माना जाता था। इस मनुस्मृति के आधार पर ही शूद्रों का शोषण किया गया। मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया।

प्राचीन समाज व्यवस्था में शूद्रों का पढ़ना मान्य नहीं था। अगर कोई शूद्र धर्मग्रंथों को पढ़े तो उसकी आँखे फोड़ दी जाती थी, कोई सुने तो उसके कान में पीघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। कोई उच्चारण भी करे तो उसकी जीव्हा काटने का दण्ड दिया जाता था। शूद्रों का स्पर्श वर्ज्य माना जाता था, इन्हें मंदिर में प्रवेश भी नकारा गया था, क्योंकि अगर शूद्र मंदिर में प्रवेश करेगा तो मंदिर अपवित्र हो जायेगा। इस धर्म के निर्माता ने तीनों वर्णो को सब अधिकार दिए और शूद्रों के सब अधिकार छीन लिए थे। इसकी ओर संकेत करते हुए डॉ.अम्बेड़कर कहते है-"कुछ लोग कहते है हिंदु सभ्यता छः हजार साल पुरानी है। कुछ को इससे भी संतोष नहीं होता वे उसे उससे पुराना सिद्ध करना चाहते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि इतनी पुरानी सभ्यता ने पाँच करोड़ अस्पृश्य, दो करोड़ आदिवासी लगभग पचास लाख अपराधी जातियों को जन्म दिया। इस सभ्यता को क्या कहा जा सकता है? यह कैसी सभ्यता है, जिसके परिणाम इतने सोचनीय है? कही बुनियादी खराबी हैं, मैं समझता हूँ,हिंदुओं को अब इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या इस तरह की सभ्यता गर्व करने योग्य है? एक बार नहीं सौ बार सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के परिणामों के बावजूद उन्हें सभ्य कहा जा सकता हैं?"[1]

---

1. डॉ.एन.सिंह - मेरा दलित चिंतन - पृष्ठ -17

हिंदु धर्म के द्वारा दिए गये असमानता, अन्याय, अपमान और घृणा के साथ शूद्र वर्ण इसका वहन कर रहा है। हिंदू धर्म में शूद्रों की स्थिति पशु से भी बदतर थी।

शूद्र को हीन माना जाता था। उन्हें घृणा से भरे नामों से उल्लेख किया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बलसुचक से युक्त, वैश्य का धनसुचक शब्द से युक्त तथा शूद्र का निन्दित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। शूद्र को हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, यही कर्म इनका श्रेष्ठ कर्म कहा गया, इस सेवा के बदले शूद्र को बचा हुआ खाना, फटे हुए कपड़े और खराब हुए बर्तन देते थे।

ब्राह्मणों द्वारा शूद्र को धर्मोपदेश देने पर उनका भी बुरा हाल होता है, वो भी शूद्र के साथ नरक में जाता है, ऐसा माना जाता था।

इस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में शूद्र को कोई किमत नहीं थी, इन्हें हीन माना जाता था, केवल तीनों वर्णो की सेवा के लिए इस वर्ण को पैदा किया है, ऐसा माना जाता था। अगर कोई शूद्र की हत्या करे तो उसे कुत्ते, बिल्ली, गधा, डल्लू, नेवला, कौंआ की हत्या जितना पाप लगता है। इससे पता चलता है, कि हिंदू धर्म में शूद्रों की स्थिति पशु से भी बदतर थी।

इसके बारे में प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने लिखा है कि - "सामाजिक परिस्थितियों ने मूल्यों को ओझल कर दिया था और मानव समाज की छोटी-बड़ी जातियों में बाँट दिया, मानवों के एक बड़े समूह को उन अधिकारों से भी वंचित कर दिया जो पशुओं को भी प्राप्त हैं।"[1]

इस तरह की परिस्थितियाँ बहुत सालों तक लगातार धर्म के नाम पर चलती रही। इस परिस्थितियों में समाज परिवर्तन का बेड़ा हाँकना आसान नहीं था। रूढ़िप्रिय उच्चवर्ग के शोषण, अन्याय पर प्रहार करने के लिए कई विचारक,

1. डॉ.एन.सिंह - मेरा दलित चिंतन - पृष्ठ -42

समाज सुधारक पैदा हुए। इन समाज सुधारकों ने दलितों को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए उन्हे जगाया,उन्हें यह भी सिखाया की जाति, वर्ण का निर्माता ईश्वर नहीं, बल्कि इसके निर्माता मनुष्य है, जिसने अपने फायदे के लिए इसका निर्माण किया। समाज सुधारकों के लिए ये काम आसान नहीं था, इन्हें धर्म द्वेष्टा, ब्राह्मण द्वेष्टा आदि आरोपों का सामना करना पड़ा था।इन समाज सुधारकों में महात्मा फुले, महर्षि कर्वे, राजर्षि शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब अम्बेड़कर,महात्मा गांधी आदि का कार्य महत्त्वपूर्ण हैं।

समाज सुधारकों ने मतलबी, स्वार्थी उच्चवर्गीय लोगों का पर्दाफाश करके दलितों का स्वत्वभाव जगाया। दलितोद्धार का कार्य अत्यंत प्रतिकूल था। स्वतंत्रता के पश्चात् और राज्य सरकार ने दलितोद्धार को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर अनेक कानून पारित किए। **15** अगस्त **1947** में भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्रता के बाद दलितों के स्थिति में सुधार आने लगा। कर्मवीर भाऊराव पाटील ने काल संक्रमण में शिक्षा के वट वृक्ष की छाया में दलितों का उद्धार किया।दलितों को अपने उद्धार का प्रयत्न स्वयं करने के साथ, दलित संगठन भी महत्वपूर्ण हैं। दलितों को अपने उद्धार का मार्ग स्वयं ढुँढना चाहिए। आज जाति बंधन, धर्म-बंधन तोड़ने के प्रयास में मनुष्य स्वयं इन बंधनों में बँधा जा रहा है, ऐसा नजर आता है।

वर्तमान काल में दलितों में परिवर्तन हो रहा हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दलित जिन मुलभूत अधिकारों से वंचित था, उन मुलभूत अधिकारों के भारतीय संविधान ने दलितों को प्रदान किए। डॉ.अम्बेड़कर जी ने भारतीय संविधान में दलितों के हितो की रक्षा, सामाजिक उन्नति, समान अधिकारों की प्राप्ती आदि का प्रबंध किये हैं।

भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को स्वीकार किया जिससे न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इससे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम चुनने के लिए स्वतंत्र बन गया। पढ़ने लिखने से वंचित शूद्र लोग भी संविधान के आधार के साथ पढ़ने लगे। कोई भी व्यवसाय करने में स्वतंत्र था, जिससे दलितों की स्थिति में सुधार आ गया।

भारतीय संविधान नुसार **1950** ई में अस्पृश्यता नष्ट की गई। जातीयता मानना एक अपराध माना गया। जिससे अस्पृश्यता कुछ मात्रा में कम हो गई। बाबासाहब अम्बेड़कर जी ने सन् **1935** में धर्म परिवर्तन की घोषणा की। जिससे भारत में उथल-पुथल मच गयी। सन् **1956** में अम्बेड़कर ने बौद्ध धम्म का स्वीकार करके एक नया इतिहास रचा। डॉ.अम्बेड़कर जी ने दलित संगठन शक्ति के बलपर दलितों में चेतना जागृति लाने का कार्य किया। राजर्षी शाहू महाराज ने डॉ.अम्बेड़कर के इस कार्य में सहायता की और इस कार्य को आगे बढ़ाया।

आज साहित्य में दलितों की वर्तमान स्थिति का अत्यंत सूक्ष्मता की दृष्टि से चित्रण हो रहा हैं। दलितों में धर्म परिवर्तन की वैचारिक प्रक्रिया हुई। जिसके दलित मुक्ति संघर्ष का नया धर्म, नया इतिहास, नया साहित्य प्राप्त हुआ।

भारतीय संविधान ने शिक्षित, बेकार, दलित को व्यवसाय के लिए बँकों से कर्ज देने की व्यवस्था की गयी। नौकरियों में आरक्षण रखकर दलितोद्धार का कार्य किया। डॉ.अम्बेड़कर ने मनुस्मृति का दहन करके सनातनियों के जुल्म, जबरदस्ती, शोषण, अत्याचार और घातक रूढियों पर आघात किया। इस निषेधात्मक कृति से दलितों में मुक्तजीवन की अनुभूति के लिए चेतना उत्पन्न हुई।

प्रथम गोलमेज परिषद में भारतीय दलितों का प्रतिनिधित्व डॉ.अम्बेड़कर जी ने किया और दलितों की माँगे पेश की। द्वितीय गोलमेज परिषद में उन्होंने दलितों की शेष माँगे पेश की। महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह करके उन्होंने दलितों की बहिष्कृत जिंदगी का नग्न यथार्थ रूप दिखाकर उसके लिए समान हकों की माँग की।

डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर जी ने शिक्षा, संगठन और संघर्ष का जो मंत्र दलितों को दिया, जिससे हर दलित प्रेरित होकर शिक्षा लेने लगा। जिससे दलितों में अस्मिता जाग गयी और डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर जी के प्रेरणा लेकर शिक्षा लेने लगा। शिक्षा के कारण दलितों के स्थिति में सुधार आ गया।

2.3 डॉ.अम्बेड़कर जी के दलितों के विभिन्न पहलुओं पर विचार :

डॉ. बाबासाहब अम्बेड़कर जी ने अस्पृश्य लोगों को अपने विचारों द्वारा जगाने का प्रयास किया। अम्बेड़कर जी ने दलितों को सवर्णो के गुलामी से मुक्त किया इसी कारण अस्पृश्य लोगों के मन में स्वाभिमान जागा। दलितों को भी हिंदूओं की तरह समानता का हक मिले इसलिए अम्बेड़कर जी ने बहुत प्रयास किये।डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर श्रेष्ठ विचारवंत थे। अन्याय के खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। अस्पृश्यता निवारण के समय उन्होंने मूलभूत परिवर्तनवादी, क्रांतिकारी भूमिका अपनायी थी और यही भूमिका परिणामकारक हुई। डॉ.अम्बेडकर जी के प्रेरणा से ही सामाजिक समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दलितों को इनसे ही मिली।

2.3.1 डॉ. अम्बेड़करजी के सामाजिक विचार :

हिंदू धर्म में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है। इसी धर्म में अस्पृश्यों को कनिष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर आधारित होने के कारण इस धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णो को स्वतंत्रता और मुलभूत अधिकार थे। लेकिन इस चातुर्वर्ण्य में शूद्र वर्ण को किसी भी प्रकार का स्वातंत्र्य नहीं था, किसी भी प्रकार का सामाजिक हक नहीं था।अस्पृश्य लोग सवर्णो के कुओंपर पानी नहीं भर सकते थे। अस्पृश्य लोगों के नौकरी और व्यवसाय करने पर समाज की पाबंदी थी। हिंदू धर्म में उच्च माने जानेवाले वर्णो की सेवा करना ही शूद्र वर्ण का काम माना जाता था। हिंदू धर्म की समाज व्यवस्था में दलित लोग पूरी तरह पिस रहे थे। दलितों के स्थिति के लिए हिंदू समाज व्यवस्था ही जिम्मेदार थी। लेकिन दलित लोग इसे अपना ही दुर्भाग्य मानकर सारे जुल्म चुपचाप सह लेते थे।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने दलित समाज को जाग्रत करने, इनके परिस्थिति में सुधार लाने और दलित समाज को संगठित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने

पत्रिकाएँ निकालकर दलित समाज में चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया। दलितों को अपने हकों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।

दलित वर्ग को संदेश देते हुए डॉ.अम्बेड़कर कहते हैं - "अस्पृश्य वर्गा ने आपल्या उद्धारासाठी दुसरा कोणीतरी येईल अशी अपेक्षा बाळगू नये. कदाचित एखादा महात्मा अवतरलाच तर तो एकटा काहीच करू शकणार नाही. अस्पृश्य वर्ग नेहमीच दुसऱ्याच्या मदतीवर अवलंबून राहिला तर स्वत:चेच नुकसान करून घेईल आणि स्वत:बरोबर पुढच्या पीढीचेही नुकसान करील म्हणून अस्पृश्य वर्गाने अन्यायाच्या चक्रातून सुटण्याचा प्रयत्न करावा आणि स्वत:चा उद्धार स्वत:च करावा."[1]

(अस्पृश्य वर्ग ने हमारा उद्धार करने के लिए कोई आएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई महात्मा आया भी, तो वो अकेला कुछ नही कर सकेगा। अस्पृश्य वर्ग हमेशा दुसरों पर ही अवलंबित रहेगा तो इसमें उसका खुद का नुकसान ही होगा। उसके साथ आनेवाली पीढ़ियों का भी नुकसान होगा इसलिए अस्पृश्यों को अन्याय से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं का उद्धार स्वयं करना चाहिए।)

डॉ.अम्बेड़कर दलित वर्ग के विकास में युवकों का स्थान महत्त्वपूर्ण मानते थे। जो समाज सोया हुआ है, उसे जगाने, उनके मन में चेतना जाग्रत करना,उन्हें समानता की लढाई के लिए तैयार करने की सलाह अम्बेडकर जी अस्पृश्य युवकों को दी थी।

अस्पृश्यों के उद्धार के लिए डॉ.अम्बेड़कर ने सन **1924** में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। समाज में जो अस्पृश्यता है, उसका निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का सभासद सवर्णो को बनाया क्योंकि सवर्ण लोग यह काम करेंगे तो इसमें कामयाबी मिल सकती है। इस सभा का काम था, अस्पृश्यों में हकों के प्रति जाग्रत करना। अस्पृश्य समाज में स्वाभिमान, स्वावलंबन आदि भावनाओं को जाग्रत करना इसका उद्देश्य था।

---

1. प्रा.डॉ.सी.एच. निकुंभे - समाज प्रबोधन कार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर - पृष्ठ 67

दलित वर्ग को समाज व्यवस्था में समानता के हक मिलने के लिए डॉ.अम्बेड़कर ने 'समाज समता संघ' की स्थापना की। सामाजिक समता के प्रसार के लिए 'समाज समता संघ' का मुखपत्र कहकर 'समता' नामक पाक्षिक शुरू किया। समाज समता संघ के द्वारा डॉ.अम्बेड़कर जी ने दलितों में जो जाति-जाति में जो उच्चनीचता है, उसे कम करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सहभोजन महत्त्वपूर्ण माना। दलितों के उपर इसका परिणाम हो सकता है, इसलिए समाज समता संघ ने सहभोजन के भी आयोजन किये। समाज समता संघ के अध्यक्ष डॉ.अम्बेड़कर थे, और बाकी जो सदस्य थे वे उच्चवर्णीय थे। जिसमें सुधारणाओं के लिए अच्छा वातावरण निर्माण हो सकता था।

डॉ.अम्बेड़कर अस्पृश्यता निवारण के लिए आंतरजातीय विवाह को महत्त्वपूर्ण मानते है। वो मानते है कि जब तक आंतरजातीय शादियाँ नहीं हो जाती तब तक अस्पृश्यता नष्ट नहीं हो सकती।

डॉ.अम्बेड़कर का मानना था कि अस्पृश्य लोगों को अपने दिमाग और कर्तबगारी से विरोधियों से दो-दो हाथ करके यश को प्राप्त करना चाहिए। ऐंसा किये बिना अस्पृश्यों को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। 'समाज समता संघ' के द्वारा अस्पृश्यों को मरे हुए पशु का मांस खाने पर पाबंदी लगाई। अस्पृश्यों को नीच समझे जानेवाले काम छोड़कर व्यवसाय करना चाहिए, जिससे भेदाभेद कम हो सकती है और जिससे समाज व्यवस्था में दलितों का सम्मान प्राप्त हो सकता है।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने दलित लोगों को संगठित करके अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जाग्रत किया। अम्बेड़कर जी मानते थे कि जब तक समाज व्यवस्था में जातीय भेदाभेद कम नहीं होगी तब तक दलितों को समाज व्यवस्था में स्थान नहीं मिल सकेगा। इसी कारण उन्होंने जातीयता कम करने का प्रयास किया है।

2.3.2 डॉ.अम्बेड़कर जी के राजनैतिक विचार :

भारतीय समाज व्यवस्था में जाति व्यवस्था एक प्रभावशाली घटक था। जाति के कारण ही हिंदू समाज का विभाजन हुआ। हिंदू धर्म में कुछ जातियाँ श्रेष्ठ है और कुछ जातियाँ कनिष्ठ मानी जाती हैं। कनिष्ठ जातियों में दलित वर्ग का समावेश हैं। दलित वर्ग को किसी भी तरह के हकों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और स्वतंत्रता पूर्व के समय तक किसीने उनके राजनैतिक हकों के संदर्भ में चर्चा भी नहीं की थी।

ब्रिटिश पार्लमेंट ने भारत में लोगों के राजनैतिक हकों के संदर्भ में 'साऊथबरो कमिटी' की स्थापना की।इस कमिटी के सामने डॉ.अम्बेड़कर जी ने कायदेमंडल में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व की पद्धत और उसका प्रमाण इस के बारे में बताया। भारतीय समाज व्यवस्था में अस्पृश्यों के लिए संयुक्त मतदार संघों में राखीव जगह की व्यवस्था करके अथवा जातिनिहाय मतदारसंघों का निर्माण करके अस्पृश्यों का अन्याय दूर किया जा सकता है। कायदेमंड़ल में अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व निर्माण हुआ तो वो उनकी सामाजिक और धार्मिकता दृढ करने लगेंगे, जिससे अस्पृश्यों को उनके हकों से दूर रखा जाएगा उनपर अन्याय और भी बढ़ सकते है। इसलिए कायदेमंड़ल में अस्पृश्यों के लिए प्रतिनिधित्व मिलना बहुत जरूरी है।

हजारों सालों तक दलित वर्ग को उच्चवर्ग के लोगों ने गुलाम ही बनाया। उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी। सवर्ण लोगों द्वारा होंनेवाले अन्याय को रोकने और दलितों को राजनैतिक हकों के प्रति जाग्रत करने लिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने 'शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन' का निर्माण किया।

डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर ने चुनाव में 'शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन' के उम्मीदवार खडे किए, जिसमें कुछ ही उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इसका विचार करते हुए डॉ.अम्बेड़कर जी के नजर में आया कि दलितों ने दुसरे जाति के लोगों को वोट नहीं

दिए और दूसरे जाति के लोगों ने दलितों को वोट नहीं दिए। ये बढ़ती हुई दूरी कम करने के लिए बाबासाहब ने 'रिपब्लिकन पार्टी' का निर्माण करना चाहते थे। जिसमें स्वतंत्रता समानता और बंधुता को महत्व दिया। बाबासाहब का यह काम अधूरा रह गया।

डॉ.अम्बेड़कर जी को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का प्रमुख बना दिया। भारतीय संविधान के जरिए दलितों को राजनैतिक हक्क प्रदान किए, जिसके लिए वह लड़ रहे थे। डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर ने राजनीति में चरित्र और नैतिकता को महत्व दिया। देश का लोकतंत्र यशस्वी बनाने के लिए राजनीति में चारित्र संपन्न प्रतिनिधि आने चाहिए ऐसी उनकी अपेक्षा थी। दलित लोग राजनीति के सत्ता के बिना उद्धार नहीं कर सकते ऐसा उनका मानना था।

2.3.3 डॉ. अम्बेड़कर जी के धार्मिक विचार :

हिंदू धर्म में जातीय भेदाभेद का कारण धर्म ही है। धर्म के नामपर दलितों को दास बनाकर उन्हें नीच काम करने के लिए प्रवृत्त किया जाता था। हिंदू धर्म चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर आधारित होने के कारण शूद्र वर्ण को तीनों वर्गो की सेवा करनी पड़ती थी। डॉ.अम्बेड़कर दलितों के इस दयनीय स्थिति का कारण धर्म ही मानते है और इसके बारे में कहते हैं - "अस्पृश्यांनी स्वावलंबी होण्यासाठी आपल्या उद्धाराच्या मार्गातील अडचणी दूर कराव्यात, स्पृश्याप्रमाणे आपण ही माणसे आहोत हे सिद्ध करावे आणि स्पृश्यांच्या जाचातून कायमचे मुक्त होण्यासाठी हिंदू धर्मातून वेगळे होऊन स्वतंत्रपणे रहावे"[1]

("दलितों को स्वावलंबी बनने के लिए हमारे प्रगति में जो अडचणें आती हैं उन्हें दूर करना चाहिए। सवर्णो की तरह हम भी आदमी हैं ये सिद्ध करना होगा और सवर्णो के कुछ छल कपट से मुक्त होने के लिए हिंदू धर्म से अलग रहना चाहिए।")

1. प्रा.डॉ.सी.एच. निकुंभे - समाज प्रबोधन कार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर - पृष्ठ 131

हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं था। उच्चवर्ग के लोग धर्म के नामपर दलितों पर बंधन लादते थे। दलितों को कनिष्ठ मानकर इन्हें गंदे काम करने के लिए प्रवृत्त किया जाता था। सवर्ण लोग दलितों से केवल काम करवा लेते थे, लेकिन उन्हें अपने समान मनुष्य न मानकर उनके साथ पशु जैसा व्यवहार करते थे। दलितों पर ये जो अन्याय और अत्याचार होते थे, वे सब धर्म के नामपर ही होते थे। डॉ.अम्बेड़कर का मानना था कि दलितों को अपना उद्धार करना है, तो हिंदू धर्म को त्यागना होगा। हिंदू धर्म में रहकर कोई भी दलित खुद का उद्धार नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सब बंधन दलितों पर ही हैं।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने सन **1935** में धर्मांतर करने की घोषणा की। इस समय उन्होंने कहा - "अस्पृश्यतेचा कलंक घेऊन मी जन्मास आलो ते माझे दुर्दैव होते त्यात माझा काही दोष नव्हता परंतु हिंदू म्हणून मी मरणार नाही।"[1]

(अस्पृश्यता का कलंक लेकर में पैदा हुआ ये मेरा दुर्भाग्य था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, लेकिन में हिंदू रहकर नहीं मरूँगा।")

दलित वर्ग को हिंदू धर्म में समानता नहीं थी, वो सवर्णो की तरह समानता का आग्रह करे तो उन्हें सताया जाता था। हिंदू धर्म सनातनी होने के कारण इसमें वर्ग द्वेष हमेशा रहेगा, इस वर्ग द्वेष से छुटकारा पाने के लिए अस्पृश्यों को सामर्थ्य की आवश्यकता हैं, जो उन्हें धर्मांतर से मिलेगी। हिंदू धर्म में अस्पृश्य लोगों को व्यक्ति स्वातंत्र्य नहीं था, उन्हें व्यवसाय स्वतंत्र भी नहीं था। उच्चवर्ग की सेवा करना ही उनका काम था, जिसके कारण वो नौकरी भी नहीं कर सकते थे अगर इस परिस्थिति से छुटकारा पाना हो तो धर्मांतर के सिवा और कोई उपाय नहीं है।

दलित वर्ग जब तक हिंदू धर्म में रहेगा। तब तक उन्हें अपने सामाजिक और धार्मिक हकों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर उन्होंने धर्मांतर किया तो

---

1. प्रा.डॉ.सी.एच. निकुंभे - समाज प्रबोधन कार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर - पृष्ठ **132**

BARR. BALASAHEB KHARDEKAR LIBRARY

मुस्लिम और ख्रिश्चन लोगों की तरह उनके संबंध सवर्णों के साथ रह जायेंगे। धर्मांतर से ही सवर्ण और दलित लोगों में समता स्थापित हो सकती है। इसलिए डॉ.अम्बेड़कर समाज में समता स्थापित होने के लिए धर्मांतर को महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

दलित वर्ग को समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए और दलितों के मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने के लिए डॉ.अम्बेड़कर धर्मांतर को जरूरी मानते हैं। उन्होंने दलित समाज का उद्धार होने के लिए धर्म को महत्त्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के त्याग ने से ही दलितों का कल्याण हो सकता है।

डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर जी ने सन 1956 में हिंदू धर्म को त्यागकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। उनके साथ दलित वर्ग के लाखों अनुयायियों ने हिंदू धर्म को त्यागकर बौद्ध धम्म को अपना लिया। धर्मांतर के कारण ग्रामीण और शहरी भाग के दलितों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन हो गया।

2.3.4 डॉ. अम्बेड़कर जी के शैक्षणिक विचार :

प्राचीन काल से भारतीय समाज व्यवस्था में दलितों का कोई स्थान नहीं था। दलित वर्ग को राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार नहीं थे। इसी वजह से दलित समाज शिक्षा में पीछे रह गया।

डॉ.अम्बेड़कर शिक्षा के बारे में कहते हैं-"शिक्षण घेतल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तिला स्वत:ची उन्नती करून घेता येत नाही. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही क्षेत्रातील ज्ञान वाढविता येत नाही. शिक्षणाची संधी न मिळाल्यामुळे अज्ञान-अंधकारात पडून राहिला. त्या अवस्थेतून वर येण्यासाठी अस्पृश्य वर्गाने जागृत होऊन शिक्षण घेतले पाहिजे."[1] ("शिक्षा के सिवा किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती। शिक्षा के बिना किसी भी क्षेत्र का ज्ञान बढ़ नहीं सकता। दलित समाज को शिक्षा से वंचित रखने के कारण वह अज्ञान और अंधकार में पडा रहा है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए

1. प्रा. डॉ. सी. एच. निकुंभे - समाज प्रबोधन कार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर - पृष्ठ 158 / 159

दलित वर्ग को जाग्रत होकर शिक्षा लेनी चाहिए।)

शिक्षा के अभाव से ही मनुष्य दुसरों का गुलाम बनता है और शिक्षा से ही हम राजनैतिक सत्ता और उच्च अधिकार के पद प्राप्त कर सकते हैं। डॉ.अम्बेडकर जी ने उम्रभर दलित वर्ग को शिक्षा का महत्त्व बताते हुए उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने राष्ट्रहित के लिए प्राथमिक शिक्षा को महत्त्वपूर्ण माना। सरकार की छात्रवृत्ति के बारे में मानते हैं कि सरकार जो छात्रवृत्ति देते थे, इसका उपयोग छात्र घर खर्चे के लिए करता हैं और इसमें छात्र को पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ते है इसी कारण छात्र शिक्षा से वंचित रह जाता हैं। ये टालने के लिए सरकार की तरफ से छात्रावास शुरू करने चाहिए। छात्रावास के कारण छात्र गलिच्छ बस्तियों से बाहर निकलेंगे और शिक्षा लेने के बाद समाज का विकास करेंगे।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने स्त्री-पुरूष भेदाभेद कभी नहीं किया। पुरूषों के शिक्षा के साथ ही स्त्रियों के शिक्षा को भी उन्होंने महत्त्व दिया। अगर स्त्रियाँ शिक्षा लेंगी तो उनका स्वाभिमान जाग्रत हो जाएगा और स्त्रियों का जो शोषण होता है, वो कम हो जाएगा। इससे समाज का विकास हो जाएगा। उच्चशिक्षा से ही समाज में अच्छे नेता गण निर्माण होते हैं। जब तक समाज में अच्छा नेता निर्माण नहीं हो सकता तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता।इसी कारण डॉ.अम्बेड़कर जी ने उच्चशिक्षा प्रसार को महत्व दिया।

दलित वर्ग अशिक्षित होने के कारण उनके अज्ञान का फायदा लेकर सवर्ण लोग उन्हें सताते थे। इस अन्याय को रोकने के लिए दलित वर्ग में शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक था। शिक्षा के कारण ही दलित वर्ग में आत्मविश्वास पैदा होकर वो अन्याय के खिलाफ लड़कर वो प्रगति की ओर जा सकते है। इसी वजह से उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने सन **1945** में “पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ की स्थापना की।

सन 1944-45 में मुंबई प्रांत में उच्च शिक्षा लेनेवाले छात्रों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ गयी। किंतु जगहों की मर्यादों के कारण दलित युवकों को महाविद्यालयों में प्रवेश मिलने में बड़ी दिक्कत आने लगी। दलित छात्रों को इस दिक्कतों से दूर करने के लिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने 20 जून 1946 में 'सिद्धार्थ महाविद्यालय' की स्थापना की। सिद्धार्थ महाविद्यालय केवल दलितों के लिए नहीं था इस महाविद्यालय में सभी जाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया। सन 1950 में मराठवाड़ा में भी शिक्षा का प्रसार हो इसके लिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने 'मिलिंद महाविद्यालय' की स्थापना की। जिसमें मराठवाडा में भी दलित वर्ग शिक्षा के लिए प्रेरित हो गया।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने दलित समाज के उद्धार के लिए शिक्षा का महत्त्व बताते हुए दलित समाज को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। दलित समाज में शिक्षा का प्रसार हो इसलिए समाज में जागृति की। शिक्षा से ही दलित समाज का उद्धार हो सकता हैं।

2.4 भारतीय संविधान और समाज में दलित जीवन :

देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली लेकिन सही मायने में सामान्य लोगों को आजादी भारतीय संविधान का अंमल होने से मिली। भारतीय संविधान का अंमल 26 जनवरी 1950 से हुआ। भारतीय संविधान का अंमल होने से ही सामान्य लोगों को स्वातंत्र्य, समता, न्याय और बंधुता जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए।

भारतीय संविधान का अंमल होने के पूर्व, देश में धर्मग्रंथों के आधारपर लोग अपना जीवन बिताते थे। इन धर्मग्रंथों में जातीयता, वर्ण-व्यवस्था और उच्च-नीचता प्रमुख मानी जाती थी। धर्मग्रंथों को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मान्य थी। जिसमें ब्राह्मण प्रमुख माना गया था जो ज्ञान दान का काम करता था, क्षत्रिय जिसका काम युद्ध करना, वैश्य का काम व्यापार करना और इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का काम था।

शूद्रों और नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। नारी तथा शूद्रों ने शिक्षा लेना पाप माना जाता था। शूद्र को जानवर के समान माना जाता था, वे केवल भोग के पात्र समझे जाते थे। प्राचीन काल में इन धर्मग्रंथों का सबसे पहले विरोध गौतम बुद्ध ने किया। इनका मानना था कि इस व्यवथा में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक मानवताहीन गैर बराबरी हैं। महात्मा फुले जी ने भी ऐंसी व्यवस्था को ठुकरा दिया। सन् 1927 में डॉ.अम्बेड़कर जी ने 'मनुस्मृति' इस धर्मग्रंथ को जलाया। भारतीय समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधारपर नारी और दलित भी आत्मसम्मान के साथ बसर करें इस ओर डॉ.अम्बेड़करजी ने ध्यान दिया।

भारतीय संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेंद्रप्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा पर डॉ.अम्बेड़कर जी को चुन लिया गया। डॉ.अम्बेड़कर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते संविधान लिखने की पुरी जिम्मेदारी डॉ.अम्बेड़कर जी के ऊपर आ गयी। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखुबी निभाया।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने संविधान का काम शुरू किया तब उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी तबियत साथ नहीं दे रही थी, तो कई लोग विरोध कर रहे थे। इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अम्बेड़कर जी ने 2 साल 11 महिने और 18 दिनों में भारतीय संविधान को लिखकर पूरा किया। संविधान निर्माण के दौरान डॉ.अम्बेड़कर जी ने कई देशों के संविधानों का अभ्यास किया। डॉ.अम्बेड़कर जी के महापुरूषों के विचारों से भरा संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान में कुल 395 कलम और 11 परिशिष्ट थे। प्राचीन काल से जिन लोगों पर अन्याय, अत्याचार हो रहे थे, उन्हें संविधान ने मौलिक अधिकार प्रदान करके समाज में समता प्रस्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय संविधान के अंमल होने के बाद भारतीय समाज व्यवस्था में परिवर्तन हो गया।

पं.बाळकृष्ण शर्मा ने संविधान के बारे में कहा था - 'इस संविधान में गांधीवादी दर्शन की कोई छाया नहीं हैं।' इसका उत्तर देते हुए डॉ.अम्बेड़कर जी ने कहा- 'गांधीवादी विचारों में विश्वास रखनेवाले मेरे मित्र क्या यह बताएंगे की इस विचारधारा की संगति अंतिम परिणति तक वे उसका स्वीकार कर सकेंगे? उदा.सशस्त्र सैनिक दल का विसर्जन, न्याय व्यवस्था को बरखास्त करना, उसके स्थानपर सीदी साधी न्याय व्यवस्था स्थापित करना।'

भारतीय संविधान के अंमल से भारतीय समाज व्यवस्था में समता स्थापित होने लगी। प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने का स्वातंत्र्य नहीं था, लेकिन संविधान ने किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने का स्वातंत्र्य दिया। संविधान ने सामान्य लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जिसके कारण सामान्य लोग अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने लगे।भारतीय संविधान ने भारतीय समाज व्यवस्था में जो जातीयता थी, वो मिटाने का प्रयास किया। संविधान ने जातीयता पालना कानूनन अपराध माना। जिसके कारण समाज में जातीयता कम हो गयी। संविधान के कारण ही दलित लोग समाज में सवर्णो जैसी जिंदगी जीने लगे। शहरों में जातीयता कम हो गई लेकिन ग्रामीण भागों में जातीयता कम मात्रा में दिखाई देती है।

भारतीय संविधान में शिक्षा को महत्त्व दिया है। जन्म से लेकर **14** साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का कानून बनाया।इसके कारण जो लोग अर्थाभाव के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे उनके बच्चें भी पढ़ने लगे। संविधान ने शिक्षा के द्वार सब के लिए खुले कर दिए। इसी कारण दलित लोग भी शिक्षा लेने लगे।शिक्षा के कारण ही दलित समाज का विकास हो सकता है, इसलिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया। भारतीय संविधान ने सभी को समान माना है। इसमें किसी भी धर्म और जाति को बढ़ावा नहीं दिया। संविधान में सभी जाति और धर्म के लोगों को न्याय देने की बात लिखी है। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता के तत्त्व को अपनाया है।

भारतीय संविधान ने जो पिछड़ी जातियाँ है, उन्हें आरक्षण दिया है। आरक्षण के जनक राजर्षी शाहू महाराज को माना जाता है। जो समाज सदियों से समाज से दूर, धर्म से, राजनीति से, शिक्षा से, सत्ता से, व्यापार से दूर गाँव के बाहर हजारों सालों से जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उस समाज को राष्ट्रीय प्रवाह में जोड़ने के लिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने आरक्षण को महत्त्व दिया।

डॉ.अम्बेड़कर जी ने संविधान में आरक्षण का आधार राजर्षी शाहू महाराज से लिया है। राजर्षी शाहू महाराज ने अपने कार्यालयों में पचास प्रतिशत आरक्षण जाहिर किया था। जिससे उनपर आलोचना भी हुई थी।

सन **1932** में जो 'पुणे करार' हुआ इसमें दलितों के लिए आरक्षित जगह दी गयी। इसके कारण दलित लोग अपना प्रतिनिधि आगे भेज सकते थे। इसका आधार लेते हुए डॉ.अम्बेड़कर जी ने संविधान में दलितों के लिए राजनैतिक आरक्षण दिया। यह राजनैतिक आरक्षण केवल संविधान के अंमल के बाद केवल पंद्रह साल तक था। लेकिन राज्यकर्ताओं ने अपने फायदे के लिए इसे आज तक बनाया रखा है।

डॉ. बाबासाहब अम्बेड़कर जी ने समता मूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया है। मेरी राय में संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, एक व्यक्ति का एक ही वोट है, और उसकी किंमत एक ही है। देश का कोई अमीर हो या कोई गरीब या दलित हो उनके वोटों की किमंत एक ही है। भारतीय संविधान ने देश के नागरिक को जिसके अट्ठारह साल पूरे हुए हो, उसे मतदान का अधिकार दिया है। जिसमें देश का शासन बनाने में वो महत्त्वपूर्ण हो।

भारतीय संविधान के जरिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने समता स्थापित करने का प्रयास किया है। संविधान के जरिए डॉ.अम्बेड़कर जी ने दलितों को समाज में शामिल करने का प्रयास किया हैं। जातीयता को मिटाने का प्रयास किया है। दलितों को आरक्षण देकर डॉ.अम्बेड़कर जी ने उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया है।

भारतीय संविधान ने आंतरजातीय विवाह को मान्यता दी है, जिसमें समाज में जातीयता कम हो सकती है। विधवा विवाह को भी मान्यता दी है। भारतीय संविधान ने बाल-विवाह पर रोक लगाया है, दहेज प्रथा का भी विरोध किया हैं।

2.5 हिंदी दलित कविता का आरम्भ :

हिंदी दलित साहित्य विभिन्न वादों और विवादों में फँसकर भी अपना विकास करते हुए नजर आता है। कुछ विचारक तो इसे हिंदी दलित साहित्य का ह्रास भी मानते है। विचारकों के दृष्टि से गीत या अनुगीत में आगे कविता हो ही नहीं सकती ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये गीत या अनुगीत ही आगे चलकर कविताएँ बन गयी। कविता तो समय की जरूरत मानी जाती है, कविता समय के अनुसार बदलती है। वह अपने आकार, प्रकार के साथ-साथ अपने संवेदनाओं में भी परिवर्तन करती है।

डॉ.एन.सिंह ने कविओं के दो प्रकार बताए हैं। "एक जो सुख सुविधा में जीवन जीते है, जो एअर कण्डीशन कमरों में बैंठकर कार्य सृजन करते हैं। इनके लिए सिगरेट, कॉफी और शराब की तरह कविता लिखना भी कुछ शगल है और चूकि इनके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, साहित्य अकादमीयों और मीड़िया, (अखबार, रेड़िओ, दूरदर्शन और पत्रिकाओं) में इनके समवर्गीय मित्र बैठे है तथा सत्ता के गलियारों तक इनकी पहचान और पहुँच हैं। अत: इनका यह समय विनाऊ शगल पहले प्रकाशित, प्रसारित होकर स्थापित हो जाता है और बाद में पुरस्कृत भी। यही काव्य की मुक्तधारा है। दूसरे कवि की ओर अभी तक आलोचकों की ध्यान नहीं गया है। इस काव्यधारा के रचनाकार गाँव और छोटे-बड़े कस्बों में रहकर आम आदमी की सारे दिक्कतों को झेलते हुए समय मिलते ही अपना लहुलुहान चेतना को इस प्रतिबद्धता के साथ अभिव्यक्ति देते है कि शायद आसपास बिखरा, गूँगा, बहरा जनसमूह, मेरी आवाज सुनकर जाग जाए। ये कवि पसीने में डुबकर बात कहते है कि शायद त्रासद परिस्थितियों कहीं कुछ परिवर्तन आ जाए। दूसरे तरह के रचनाकारों की सर्जना को अब हिंदी में दलित कविता के

नाम से जाना जाने लगा है।"[1]

हिंदी साहित्य के आरम्भ से ही काव्य में दलित वर्ग का चित्रण मिलता है। दलित कविताओं की शुरूआत हिंदी साहित्य के संत काव्य के पूर्वार्ध में दिखाई देती है। इनमें सिद्ध, नाथ, नामदेव, कबीर, रैदास आदि संत कविओं की वाणी में दलित चेतना के स्वर मिलते है। इन संत कवियों में से अधिकांश कवि निम्न जातियों से आए है। इन्होंने समाज में चल रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

संत रैदास ने अपनी सामाजिक स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया।

"जो देऊया घिन उपजै, नरक कुंड मर वास।
प्रेम भगति सौ उबरै, प्रकट जन रैदास ।।
रैदास तू कवचि फली, तुझे न छिवै कोय।
तै निय नाव न जातियां, भला करां ते रोय।"[2]

इसमें रैदास ने स्पष्ट किया है कि, जिसे देखकर समाज में घृणा व्याप्त होती है, जिसे रहने के लिए गाँव के बाहर तथा सड़ा हुआ वह दुर्गन्धयुक्त हिस्सा दिया जाता है जो नरक के समान है, जिसका कोई सवर्ण हिंदू स्पर्श नहीं करना चाहता। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, ज्ञान और उपासना के सब द्वार बंद थे।

हिंदी दलित कविता का प्रभाव पंद्रहवी सदी तक चलता रहा लेकिन पंद्रहवी सदी के बाद इसमें सन्नाटा ही रहा गया।

"आधुनिक हिंदी दलित कविता का आरम्भ सन् 1914 में प्रकाशित 'हिरा डोम' की 'अछूत की शिकायत' मानी जाती है। लेकिन दलित आन्दोलन को गति देनेवाले सामाजिक व्यक्तित्व स्वामी अछूतानन्द हरिहर के प्रकाश में आने के बाद तारीख बींसवी सदी के बिल्कुल शुरू में ही चली जाती है।"[3]

---

1. डॉ.एन.सिंह	- मेरा दलित चिंतन	-	पृष्ठ -53
2. डॉ.एन.सिंह	- मेरा दलित चिंतन	-	पृष्ठ -54
3. संपा.लीलाधर मंडलोई	- कविता के सौ बरस	-	पृष्ठ -522

15505

BARR. BAL... KHARDEKAR LIBRARY
...ITY KOLHAPUR

बीसवीं सदी के आरम्भ में समाज सुधारकों ने दलित वर्ग जाग्रत करने का प्रयास किया। दलित वर्ग में सामाजिक स्तर पर जागृति करने का काम दक्षिण भारत में ई.वी.रामास्वामी नायकर (पेरियार) और पश्चिम में महात्मा फुले और डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर ने किया। बीसवी सदी के आरम्भ में उत्तर भारत में दलितों में चेतना का काम स्वामी अछूतानंद हरिहर में किया।

"स्वामी अछूतानंद हरिहर का जन्म **6** मई **1879** ई को उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद जिले के सुबूर गाँव के सौरिस मे श्रमिक दलित परिवार में हूआ। इनका बचपन का नाम हीरालाल था और उन्होंने **14** वर्ष की उम्र से ही साधु संतो के साथ दस वर्ष भ्रमण करते हुए ज्ञानोपार्जन किया।"[1]

सिद्धों ने अपनी वाणी में वर्ण व्यवस्था तथा रूढ़िवादिता का विरोध किया। सरहप्पा सिद्ध ने ब्राह्मणों की आलोचना करते हुए उन्हें महत्वहीन बनाया जिसका अनुवाद राहुल सांस्कृत्यायन ने इस प्रकार किया -

"ब्राह्मण न जानते वेद। यो ही पढे थे चारो वेद।
मटटी पानी, कुस लेई पढन्त। घर ही बैठी अग्नि होमंत।"[2]

स्वामी अछूतानंद हरिहर ने अपने साहित्य रचना के द्वारा समाज में जागृति लाने का प्रयास किया है, इनका कविताओं में राजनैतिकता और सामाजिकता नजर आती है। इनकी कविताओं में जाति व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया नजर आता है और लोगों में चेतना जगाने का काम किया है।

"सभ्य सबसे हिन्द के प्राचीन हकदार हम
था बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम।
अब नहीं है वह जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो
तोड़ दो जंजीर जकड़े क्यों गुलामी में रहो।"[3]

---

1. संपा.लीलाधर मंडलोई - कविता के सौ बरस - पृष्ठ -**523**
2. माताप्रसाद गुप्त - हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा - पृष्ठ - **3**
3. संपा.लीलाधर मंडलोई - कविता के सौ बरस - पृष्ठ -**524** /**525**

स्वामी अछूतानंद हरिहर ने अपनी कविता 'मनुस्मृति से जलता' कविता मे मनुस्मृति से धर्मग्रंथ कहकर शूद्रोंपर कैसे अत्याचार किये इसका उदाहरण दिया है।

'निशादिन मनुस्मृति हमको जला रही है।

उपर न उठने देती, नीचे गिरा रही है।"[1]

स्वामी अछूतानंद की कविताओं में पारम्पारिकता दिखाई देती है। उन्होंने अपने साहित्य में दलित समाज की पीड़ा को व्यक्त किया है और समाज परिवर्तन की आकांक्षा की है।

दलित कविताओं में पहले फुटकल रचनाएँ की जाती थी, लेकिन बाद में इसमें दलित वर्ग के चित्रण में उनकी समस्याओंपर महाकाव्य, खंडकाव्य लिखे गये। जैसे- शम्बूक (काव्य), शबरी (तीन खण्डकाव्य), भीम चरित्र मानस, भीम सागर, एकलव्य अम्बेड़कर मसीहा दलितों का (महाकाव्य) आदि महाकाव्य दिये गये।

हिंदी साहित्य में 'हिराडोम' ने 'अछूत की शिकायत' भोजपुरी में पहली दलित कविता लिखी। हिराडोम की यह कविता लगभग **40** पंक्तियों की हैं। अछूत की शिकायत इस कविता का प्रकाशन सन् **1914** में श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने 'सरस्वती' पत्रिका में किया है। इस कविता ने कवि हिराडोम ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के प्रतीक बने ब्राह्मण, ठाकूरों के अत्याचार और उनकी धूर्तता को उजागर किया है।

'हमनी के इनरा के निगिचे न जाहले जा

'पांके में से भरि भरि पिअतानी पानी

'पनही से पिट-पिटि हाथ गोड़, तौरि दैहले,

'हमनी के एतनी के काही के हलकानी?"[2]

---

1. संपा.लीलाधर मंडलोई	- क़विता के सौ बरस	-	पृष्ठ **-525**
2. डॉ.कालीचरण 'स्नेही'	- हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता	-	पृष्ठ **-95**

इस कविता के बारे में भी वाद उत्पन्न हुए। "प्रो मैनेंजर पाण्डेय के मत से यह कविता **1914** में छपी, पर श्री.एम.आर. विद्रोही के अनुसार यह कविता **1914** में प्रकाशनार्थ किसी अन्य व्यक्तिद्वारा भेज दी गई होगी और यह सरस्वती के हीरक अंक में श्री नारायण चतुर्वेदी के संपादन में सन **1916** में छपी थी।"[1]

अछूतानंद और हिराडोम ने अपने काव्य के माध्यम से दलितों की वाणी को काव्य रूप प्रदान किया, उनके बाद बीसवीं सदी में दलित पीड़ा की अभिव्यक्ति किसी-न-किसी रूप में हिंदी कविता में होती रही हैं। डॉ.बाबासाहब अम्बेड़कर की विचारधारा भारतीय दलित साहित्य का मुख्य विचार बिंदु है। सन **1970** के बाद देश के विभिन्न दलित सांस्कृतिक संगठनों ने अम्बेड़करवाद को अपनाकर साहित्य में उस अभिव्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाया। हिंदी भाषा में यह **1980** के बाद ही यह संभव हो पाया। डॉ.अम्बेड़कर से प्रभावित हिंदी रचना दो प्रकार की है... **1.**प्रबंध काव्य, **2.**स्फूट काव्य। हिंदी कवियों में दलित नायकों के आधार बनाकर प्रबंध काव्य सृजन किया।

"डॉ.अम्बेड़कर के जीवन पर सर्वाधिक रचनाएँ रची गई है। प्रबंध काव्य रूप में भी और स्फूट कविता के रूप में भी।"[2] दलित नायकों पर रची कविताओं के अतिरिक्त डॉ.अम्बेड़कर से प्रभावित और अनुप्रणित कवियों ने दलित जीवन के यंत्रणाओं, उनके संघर्षों और उनकी जीवन स्थितियोंपर कविताएँ की है।

स्वतंत्रता के बाद हिंदी दलित कवियों ने अपने काव्य में डॉ.अम्बेड़कर के जीवन चरित्र पर कविताएँ की, तो कभी रैदास के जीवन पर, कुछ कवियों ने एकलव्य, झलकारीबाई, शम्बूक आदि को प्रमुख मानते हुए उनके कथाओंपर कविताएँ की है। इन कविताओं में विद्रोह नजर आता है। हिंदी कविता धीरे-धीरे गंभीरता, संवेदनशीलता को लेकर आगे बढ़ने लगी।

---

1. रजन रानी 'मीनू' - नवे दशक हिंदी दलित कविता - पृष्ठ -15, 16
2. संपा.लीलाधर मंडलोई - कविता के सौ बरस - पृष्ठ -528

आज हिंदी दलित कविताओं में हमे स्पष्ट रूप से विद्रोह नजर आता है। कवियों ने अपनी कविताओं में जो भी समस्याओं से दलित जूझ रहे हैं उन्हें काव्य का विषय बनाया है। इन कवियों ने कविताओं द्वारा दलित लोगों के मन में चेतना जगाने का प्रयास किया है।आज की दलित कविताओं में हमें संघर्ष दिखाई देता है। इन कवियों को इसकी प्रेरणा डॉ.अम्बेड़कर की विचारधारा के साथ ही महात्मा फुले का संघर्ष भी रही है। इन कविताओं में दलितों में आशा का संचार, स्वाभिमान, स्फूर्ति और जन चेतना जगाने का प्रयास किया है।

डॉ.पुरूषोत्तम सत्यप्रेमी आधुनिक दलित कविता के संदर्भ में इनका यह कथन दृष्टव्य हैं - "मेरी दृष्टि में आधुनिक दलित कविता आक्रोश, विद्रोह और संघर्ष के सातत्य-सौंदर्य की कविता है। जिस प्रकार आज के संसदीय जनतंत्र की राजनीति में सतत संघर्ष और सामूहिक चेतना ने दलित समाज को उपनिवेशवादी सामंती अभिजात्यवादी सत्ता की राजनीति के विरूद्ध संगठित किया है और आदिम अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की जातियों को एक कौम, बहुजन समाज या दलित के रूप में इसे पहचान दी है। उसी प्रकार दलित कवियों के सामूहिक चीत्कार, गूँगो की आवाज और आक्रोश की अभिव्यक्ति है।"[1] आज की दलित कविताएँ सदियों से जो अन्याय, अत्याचार दलित वर्ग पर उनके विरोध में विद्रोह करती नजर आती है। इस बारे में डॉ.पुरूषोत्तम सत्यप्रेमी लिखते हैं - "मैं यह मानता हूँ कि आज दलित कविता सदियों से संताप के संत्रस्त एक बड़े सांस्कृतिक समाज के विद्रोह की कविता है। मुक्ति की श्वास की तरह उसके शब्द बाहर आते है और पारंपारिक व्यवस्था के वर्णजाति पर आधारित पवित्र एवं श्रेष्ठ कहे जानेवाले समाज के अहम पर प्रहार करते हुए उनके सवर्ण मानसिकता के मनुष्य को बौना साबित करते है।स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता भाव की समरसता के समाज की संरचना का स्वप्न-द्रष्टा एवं अपना दीपक आप बनों

---

1. डॉ.पुरूषोत्तम सत्यप्रेमी - मूक माटी की मुखरता - पृष्ठ भूमि से...

दलित कवि कविता को शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में आज की राजनीति के अलग रखने की पैरवी भी नहीं करता। वह तो कहता है कि जहाँ जीवन की हर चीज सोच-संवेदना राजनीतिक हो, वहाँ कविता में राजनीतिक मुहावरों से परहेज क्यों? यह बात भी सत्य है कि दलित कविता परंपरा एवं भाषायी मुहावरों से हटी अवश्य है, मगर बिल्कुल कटी नहीं हैं। इसलिए घरेलूपन वाचिकता और शोषण, उत्पीड़न, प्रवंचना की चक्की में पिसते श्रमिक, मजदूर, कामगार, खेत-खलिहान में पसीना बहाते बंधक हली-हलवाले, दूधारू पशुओं की पूंछ उजेठते एवं सुरंगो सडकों पर मरते खपते आदिवासी और अपनी संस्कृति-सभ्यता की लोक कलाओं लोकसंगीत, साहित्य-लोकनृत्य और लोकभाषाओं-जनबोली-समुदाय आज भी उसमें जीवित हैं। इस कारण भी कभी-कभी दलित कविता अधिक उत्तेजित और आवाजदार लगती है, मगर यह दलित कविता का स्वभाव है।"[1]

हिंदी दलित कविताओं ने दलित वर्ग में संगठन बनाने का प्रयास किया है, दलित वर्ग में नव-जागरण संचार किया है। कवियों का मानना है कि देश के उन्नति के लिए सभी लोगों का एक होना अपेक्षित है।

हिंदी साहित्य में कविताओं के लिए नयी संभावनाएँ खुल रही है। हिंदी दलित कविता समय की आवश्यकता के अनुसार अपने तेवर बदल रही है। लेकिन इसकी सीमाएँ भी स्पष्ट हो रही है। सभी कवि एक ही स्थिति से गुजरने के कारण एक ही संवेदना को अभिव्यक्ति दे रहे है। दलित कवियों की कविताएँ आत्मख्यान से निकलकर अपने शिल्प को निरंतर निखारने का प्रयास कर रही है।

---

1. डॉ.पुरूषोत्तम सत्यप्रेमी - मूक माटी की मुखरता - पृष्ठ 2

निष्कर्ष :

'दलित' शब्द का अर्थ है, जिसका दलन एवं शोषण किया गया है। भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत जिन्हें अस्पृश्य माना गया है वे सभी दलित है। दलित समाज के अंतर्गत अस्पृश्य, हरिजन, डिस्प्रेस्ड क्लासेस आदि आते हैं।

दलित समाज की सामाजिक स्थिति उच्चवर्णीयों द्वारा शोषित, अपमानित, उपेक्षित तथा पीड़ित परिलक्षित होती हैं। दलितों के अधिकारों का हनन हुआ है। वर्णव्यवस्था के कारण सामाजिक स्थिति भयावह है। शूद्रों के साथ घृणास्पद व्यवहार होने के कारण वो विकास नहीं कर पाए। पूँजीपति महाजन, सेठ, मुखिया, प्रधान, मुंशी तथा भ्रष्ट अफसरों के द्वारा दलितों का आर्थिक तथा शारीरिक शोषण करते है।

'दलित' शब्द का अर्थ एवं उसकी व्यापकता तथा दलित शब्द के आशय को स्पष्ट करते हुए दलित शब्द के व्यापक और संकुचित अर्थ को विवेचित करने का प्रयास किया हैं। 'दलित' शब्द हिंदू जाति व्यवस्था एवं समूह का द्योतक है। दलित शब्द जातिभेद दिखाता है। अन्याय और अत्याचार की स्थिति का दर्शन कराता है। दलित शब्द जातिभेद निर्मुलन की अवस्था की ओर न ले जाकर हिंदू समाज व्यवस्था को जाति व्यवस्था की ओर ले जाता है।

भारतीय समाज में दलित का स्थान निम्न उपेक्षित रहा है। देश की एकता, अखंडता के लिए वर्ग विभाजन, जातीयता अड़सर है। सामाजिक एकता के लिए समानता की स्थापना होना जरूरी है। आज संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, डॉ.अम्बेड़कर की प्रेरणा एवं विचार दर्शन के कारण दलित जीवन में सुधार हो रहा है। वर्तमान काल का दलित संगठित होकर आवाज उठा रहा है।

स्वतंत्रता के पूर्व के दलित जीवन की अपेक्षा आज का दलित काफी मात्रा में परिवर्तित, विकसित बना है। आज का कुछ दलित वर्ग शिक्षित बनकर नागरी जीवन में भौतिक सुख का आस्वाद ले रहा है। दलितों के विकास के लिए सिर्फ कानून बनाने से

लाभ नहीं होगा, इसके लिए स्वयं दलितों को जगाना होगा। आज का दलित राजनीति में ताकद बना रहा है। शिक्षा व्यवस्था के कारण जातीयता, उच्चनीचता की जड़े हिल रही है।

आज देश और समाज परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। दलित समाज में भी परिवर्तन हो रहा है। नये जीवन मूल्य, मानवी तत्व की स्थापना हो रही है। भारतीय संविधान ने जातीयता मानना कानूनन अपराध माना है। समाज सुधारक, सरकार, कानून के सहारे समाज परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

डॉ. बाबासाहब अम्बेड़कर जी ने दलितों को जगाने का प्रयास किया। दलित लोगों के मन में चेतना जगायी। डॉ.अम्बेडकर जी के दलित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जो विचार है, उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

हिंदी कविताओं में दलित जीवन का चित्रण करने का कार्य रैदास, कबीर तथा हिराडोम से शुरू हुआ। दलित कविता में भावुकता के साथ दलित जीवन का बहुआयामी जीवन चित्रित किया गया है। हिंदी दलित कविता ने जाति, वर्णव्यवस्था, संस्कार आदि की सीमाएं तोड़कर दलितों की विद्रोहात्मक अभिव्यक्ति को वाणी प्रदान की। सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में दलित साहित्यकारों ने अपना योगदान दे दिया है। सामाजिक क्रांति एवं चेतना का यही प्रमाण है। समाज में दलितों की विभिन्न स्थितियों उनकी समस्याओं के संबंध में कविताएं की गई है। हिंदी काव्य में दलितों के यथार्थ स्थिति का चित्रण किया गया है।